

न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्रकूट।

C.N.R.Number- UPCH040049732019

शिवबिहारी बनाम रवीन्द्रनाथ ओझा

परिवाद सं०- 333 /2019

थाना- रैपुरा, जिला- चित्रकूट।

07/11/2022 (10.30 A.M.)

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी के इन्तजारी में पत्रावली पुनः 01.00 बजे पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
चित्रकूट।

(01.00 P.M.)

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी की ओर से कोई मौका प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से वास्ते तलबी बहस नियत है। पूर्व तिथि में परिवादी को उपस्थित होने का अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है, इसके बावजूद आज बार बार पुकार कराये जाने पर परिवादी न तो उपस्थित है, न ही उसकी ओर से कोई मौका/स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवादी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
चित्रकूट।

J.O.CODE- UP 3394